

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री उमाकान्त यादव, पिता-स्व० बृज बिहारी यादव, सा०-विशनपुर अरार, थाना-ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा को एक, दो नाली बंदूक की अनुज्ञप्ति संख्या-140/3160 (मुरलीगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर बंदूक संख्या-3157 C/9 धारित है। उनके पुत्र श्री अनिल कुमार यादव, पिता-स्व० उमाकान्त यादव, सा०-विशनपुर अरार, थाना-ग्वालपाड़ा (अरार ओ०पी०), जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता उमाकान्त यादव की मृत्यु दिनांक 02.04.2016 को हो चुकी है। उक्त शस्त्र को ग्वालपाड़ा थाना के मालखाना में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्री अनिल कुमार यादव, पिता-स्व० उमाकान्त यादव, द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत उनके पिता स्व० उमाकान्त यादव के नाम से निर्गत दो नाली बंदूक की अनुज्ञप्ति संख्या-140/3160 को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत धारित बंदूक संख्या-3157 C/9 को ग्वालपाड़ा थाना के मालखाना में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक श्री अनिल कुमार यादव, पिता-स्व० उमाकान्त यादव को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रतिष्ठित संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

60/-  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापंक.....138...../श०, मधेपुरा, दिनांक...24-12-2016


प्रतिलिपि : श्री अनिल कुमार यादव, पिता-स्व० उमाकान्त यादव, सा०-विशनपुर अरार, थाना-ग्वालपाड़ा (अरार ओ०पी०), जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, ग्वालपाड़ा/मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : ✓ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।